न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—368/2015/223 (2015/00070)

1. हरी पुत्र हजारी,
2. गणपत पुत्र हरी,
3. ज्ञानी पुत्र हरी,
4. भीखाजी पुत्र हरी,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. शंकर पुत्र हेमा,
2. देवी पुत्र रामा,
3. हनुमान पुत्र रामा,
4. सेठा पुत्र रामा,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम केसरपुरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर.

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 8.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 36/2013 .

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांकः— 5.2.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 व 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नबर 729/1089, 730, 731, 732, 733, 736, 737, 739, 740, 741 व 742 कुल किता 11 कुल रबा 2.59 है0 भूमि वाके ग्राम अर्जुनपुरा खालसा में स्थित है जिसके वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । उपरोक्त आराजियात से प्रतिवादीगण/अपीलांटस का कोई वास्ता नहीं होने से उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहं करे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.6.2015 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपरोक्त वादापत्र रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4

के द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वादग्रस्त आराजियात रेस्पोडेंटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जो वर्तमान राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 के नाम दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत् 1349 फसजली में उपरोकत आराजियात कालू वल्द पन्ना जो कि अपीलांटस के पूर्वज है के नाम दर्ज रही है जो कि अपीलांटस के दादा है परन्तु उपरोक्त आराजियात जिसका वर्णन जमाबंदी संवत् 1349 फसली में दर्ज खसरा नंबर 460, 462, 463, 465, 467, 468, 494 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 792, 793, 795, 797, 799, 800, 801, 806, 802, 804, 805, 806, 845, 846, 846 व 848 बने है जिसके आधारभूत खसरा नंबर 729/1089, 730, 731, 732, 733, 736, 737, 739, 740, 741 व 742 कुल किता 11 कुल रबा 2.59 है0 बने है जो कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया गया । अपीलांटस के द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष राजस्व वाद संख्या 72/2013 बउनवानी हरी व अन्य बनाम राज0सरकार व अन्य प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है । उपरोक्त वाद में वर्तमान रेस्पो0 को पक्षकार बनाया हुआ है । उपरोक्त वाद इंद्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान अपील में चुनौतीग्रस्त आदेश से संबंधित वाद की आगामी पेशी दिनांक 27.3.2015 को दिनांक 5.6.2015 नियत की गई थी जिसमें बिना पक्षकारों को सूचित किये दिनांक 8.6.2015 की पेशी नियत करते हुए लोक अदालत कैम्प केसरपुरा में अपीलांटस के अभिभाषक की अनापत्ति वाद डिक्री करने में दर्शाते हुए निर्णय पारित किया गया है जबकि आदेशिका दिनांक 8.6.2015 में किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2015 की कोई जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी क्योंकि अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं वाद को कैम्प केसरपुरा में नियत कर निर्णित किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.8.2015 को तब हुई जब प्रार्थीगण न्यायालय में वाद संख्या 72/2013 की पेशी हेतु उपस्थित हुए तथा अपीलाधीन वाद की जानकारी चाही जिस पर अपीलाधीन वाद का निर्णय कैम्प केसरपुरा में होना रीडर ने अवगत कराया जिस पर प्रार्थीगण ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 28.8.2015 को नकल प्राप्त होने पर अपने अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाकिव एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात रेस्पोडेंटस की खातेदारी की आराजियात है जिससे अपीलांटस का कोई संबंध सरोकार नहीं है । रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि पर अपीलांटस द्वारा निर्माण किये जाने एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से वाद प्रस्तुत किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट केसरपुरा में रखे जाने के संबंध में अपीलांटस को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी तथा अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐतराज नहीं होने का अंकन किया है जबकि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ऐतराज नहीं होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है, यहां तक की अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित ही नहीं थे । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 27.3.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पत्रावली में सील लगाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.6.2015 नियत की गई थी किन्तु पत्रावली दिनांक 5.6.2015 को न रखकर पत्रावली दिनांक 8.6.2015 को कैम्प कोर्ट केसरपुरा में रखी जाकर वाद को निर्णित किया है । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका में प्रतिवादीगण/अपीलांटस को पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखे जाने के संबंध में किसी प्रकार की सूचना दिये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । जहां तक अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा कोई ऐतराज नहीं किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में अपीलांटस के इस बाबत् कोई हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण को वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है । अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 के वाद को अपीलांटस को बिना नोटिस एवं सूचना दिये तथा सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट केसरपुरा में रखकर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2015 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन का निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2015 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 5.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर